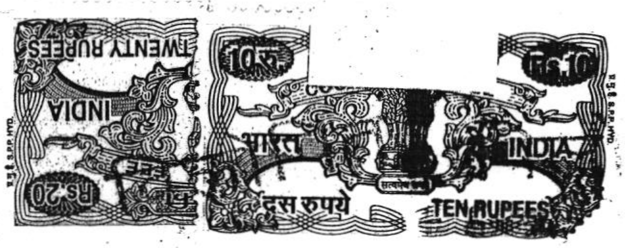

पित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग० 2410-PBR

प्र0 क्र0 निगरानी --अध्यक्ष / 16 .

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड0
द्वारा आज दि. 22/7/16 को
प्रस्तुत

ऑफ कोर्ट
... ग्वालियर

नरेश जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री,
नरेश आइल मिल
मैसर्स छगनलाल पिता पांचूलाल
निवासी--इंदौर (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन (म0प्र0)

---गैरनिगरानीकर्ता

R.V. 22/7/16

22/7/2016

22.7.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू--राजस्व संहिता--1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन प्र0क्र0 04 / अ--39 / 2015--16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

1-- यह कि, प्रकरण का साराश इस प्रकार है कि भूमि सर्वे नम्बर 1359 / 1, 1359 / 2, एवं 1359 / 3 कुल किता 3 कुल रकवा 4.934 हैक्टेयर भूमि नरेश जींनिग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, नरेश ऑयल मिल, मैसर्स छगनलाल पिता पांचूलाल निवासी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2410-पीबीआर/16 **जिला-** उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	